फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

नारायण नायक बनाम उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम

केस संख्या 159/2018 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
25.07.2018	दरख्वास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 03/2016 ब–उनवानी पप्पू व अन्य बनाम श्रीमती रजनी खण्डेलवाल में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर से बिन्दुवार टिप्पणी तलब हो। विपक्षीगण के रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 23.08.2018 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर	1437 26-7-18 SDO जयपुर प्रथम
23.08.2018	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी श्री आशीष कुमार का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी श्री आशीष कुमार का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर जयपुर	